स्पीड पोस्ट **ा**वंटनादेश

संख्या-6/एफ1-305/16 श्र0सं0- 8_3 बिद्वार सरकार, श्रम संसाधन विभाग

प्रेषक.

गोपाल मीणा, श्रमायुक्त, बिहार ।

सेवा में.

जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर/अरवल ।

पटना, दिनांक :- 4.10.16

विषय:-

मुख्य शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार-01-श्रम-राज्य योजना-103-सामान्य श्रम कल्याण-मांग संख्या-26 –उपशीर्ष-0103-बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढ़ीकरण (विपत्र कोड-P-2230011030103) कं अन्तर्गत निधि का आवंटन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संदर्भ में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-2239 दिनांक 20.5.16 के आलोक में चालू वित्तीय वर्ष-2016-17 में 31 मार्च, 2017 तक व्यय हेतु आपकी अध्यक्षता में गठित ''बाल श्रमिक पुनर्वास-सह-कल्याण कोष" में जमा करने हेतुं रू 5000/- (रूपये पाँच हजार) मात्र प्रति बाल श्रमिक की दर

निधि का आवंटन निम्न प्रकार से किया जाता है:-

0.0	क्र	प्राथमिक	जिला का	बाल श्रमिकों	आवंटित	अभ्युक्ति
1	सं。	इकाईयाँ	नाम	की संख्या	राशि	
1	1	2	3	4	5	6
1	1	28-01	समस्तीपुर	03	15000	श्रम अधी॰,समस्तीपुर के पत्रांक 840 दिनांक-
	/	व्यावसायिक एवं				22.08.16 के आलोक में (19.08.16 को
1		विशेष सेवाएँ				विमुक्त बाल श्रमिकों के लिए)
1	2	तदैव	अरवल	03	15000	श्रम अधी॰,अरवल के पत्रांक 63 दिनांक-
	-					09.09.16 के आलोक में ।
	-	कल योग		06	30000	

कुल आवंटित राशि रूपये तीस हजार मार्त्रे ।

मात्र विस विभाग के पत्रोंक-423/वि0 दिनोंक-31.03.16, पत्रोंक-4572/वि० दिनोंक-03.06.2016 एवं विस आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक-2561/वि० (2) दिनांक 17.04.98 के आलीक में है ।

इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय । यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा ।

- इसका उपयोगिता प्रमाण-पन्न यथा शोध इस विभाग को उपलब्ध करा दी जाय ।
- यह आवंटन योजना से संबंधित है ।

श्रमायुक्त, विहार।

पटना, दिनांक ५.10.16 ज्ञापांक-6/एफ1-305/16 श्र०सं०- 🞖 🥱 प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।